[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 07/2022-सीमाशुल्क (एन. टी.)

नई दिल्ली 01 फरवरी, 2022

सा.का.न.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) संशोधन नियम, 2022 है ।

(2) ये नियम 1 मार्च, 2022 को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 3 में, खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कख) "सामान्य पोर्टल" से अधिनियम की धारा 154ग में यथानिर्दिष्ट सामान्य सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल अभिप्रेत है;

(कग) "सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली" से भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदान-प्रदान प्रणाली अभिप्रेत है;

(कघ) "आयात की तारीख" से ऐसे माल की निकासी के लिए अनुज्ञात की गई अधिनियम की धारा 47 के अधीन आदेश की तारीख अभिप्रेत है;"।

3. उक्त नियम में, नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**4.** आयातक पूर्व सूचना दें - **(1)** आयातक सामान्य पोर्टल पर एकमुश्त सूचना प्ररुप आई जी सी आर-1 (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) में प्रदान करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :-

(i) आयातक और उसके छुटपुट काम करने वाले का नाम और पता, यदि कोई हो;
(ii) आयातक या उसके छुटपुट काम करने वाले, यदि कोई हो, या दोनों की विनिर्माण सुविधा में उत्पादित माल या प्रक्रिया को अपनाना;

(iii) आयातक या छुटपुट काम करने वाले के, यदि कोई हो, परिसर में माल के विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित माल की प्रकृति और विवरण;

(iv) ऐसे आयात पर लागू छूट, अधिसूचना की विशिष्टियां;

(v) आयातित माल का उपयोग करके प्रदान की गई आउटपुट सेवा की प्रकृति; और

(vi) आयात के आशयित बंदरगाह (बंदरगाहों)

(2) उपरोक्त जानकारी की स्वीकृति पर, ऐसी सूचना के लिए 'रियायती दर पहचान संख्या पर माल का आयात' (आईआईएन) प्रस्तुत किया जाएगा ।

परन्तु प्ररुप आई जी सी आर-1 (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) में दिए गए विवरण में परिवर्तन के मामले में सामान्य पोर्टल पर ऐसी सूचना को अद्यतन किया जा सकता है ।

(3) ऐसा आयातक जो छूट अधिसूचना का लाभ उठाने का आशय रखता है, ऐसी प्रतिभू या प्रतिभूति के साथ एक निरंतरता बांड सौंपेगा जैसा कि यथास्थिति, सीमाशुल्क के उपायुक्त या सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त परिसर के ऊपर अधिकार क्षेत्र रखते हुए समुचित समझे, इनपुट पर उद्ग्रणीय शुल्क के बीच अन्तर के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए एक वचनबद्धता के साथ जहां आयातित माल का उपयोग माल के निर्माण के लिए या आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा, किन्तु छूट के लिए और जो पहले से भुगतान किया गया है, यदि कोई हो, आयात के समय, ब्याज के साथ, अधिनियम की धारा 28कक के तहत जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर पर, ऐसे माल के आयात की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए, जिस पर छूट का लाभ उठाया गया था और शुल्क के अंतर की पूरी राशि वास्तविक भुगतान की तारीख के साथ समाप्त हुई थी जिसका वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ।"।

4. उक्त नियम में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**5.** पालन की जाने वाली प्रक्रिया- (1) ऐसा आयातक जो छूट अधिसूचना का लाभ उठाना चाहता है, उसे प्रविष्टि के बिल में फाइल करते समय आईआईएन (जैसा नियम 4 के उप-नियम (2) में दर्शाया गया है) और निरंतरता बांड संख्या और विवरण का उल्लेख किया जाएगा ।

(2) तदनुसार, यथास्थिति, आयात के सीमा शुल्क स्टेशन पर सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त आयातक को छूट अधिसूचना के लाभ अनुज्ञात करेगा ।

(3) एक बार घरेलू खपत के लिए बिल की प्रविष्टि की निकासी हो जाती है, आयातक द्वारा जमा किया गया बांड स्वचालित रूप से सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली में विकलनीय हो जाता है और विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्षेत्राधिकार सीमाशुल्क अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। "।

5. उक्त नियम में, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6. आयातक को अभिलेखों का अनुरक्षण करना - (1) आयातक को मात्रा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए ऐसी रीति में एक खाता रखना होगा -

(i) और आयातित माल का मूल्य;

(ii) और सुसंगत परिसर में आयातित माल की प्राप्ति की तारीख;
(iii) उपभोग किए गए ऐसे मालों की मात्रा;
(iv) छुटपुट काम के लिए भेजे गए माल की, किए गए छुटपुट काम की प्रकृति;
(v) छुटपुट काम के पश्चात् प्राप्त माल की मात्रा;
(vi) नियम 7 के अधीन पुनः निर्यातित माल, यदि कोई हो; और
(vii) प्रविष्टि के बिल के अनुसार स्टॉक में शेष

और जब कभी यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त, या सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त के परिसर पर अधिकार क्षेत्र वाले या जहां आयातित माल के विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा या जहां आवश्यक हो, उक्त खाते को प्रस्तुत करेगा ।

परन्तु सुसंगत परिसर में आयात किए गए माल की गैर-प्राप्ति या कम प्राप्ति के मामले में, आयातक ऐसी गैर-प्राप्ति या कम प्राप्ति की सूचना तुरंत प्ररुप आई जी सी आर-2 (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) में सामान्य पोर्टल पर देगा।

(2) आयातक अगले महीने के दसवें दिन तक इन नियमों से जुड़े प्ररुप आई जी सी आर-3 (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) में सामान्य पोर्टल पर मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा ।"।

6. उक्त नियम में, नियम 6क के स्थान पर निम्नलिखित नियमों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6क. छुटपुट काम के लिए आयातित माल को अनुज्ञा प्रदान करने की प्रक्रिया - (1) आयातक महीने के दौरान छुटपुट काम के लिए भेजे गए माल का रिकॉर्ड बनाए रखेगा और नियम 6 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट मासिक विवरण में इसका उल्लेख करेगा ।

(2) आयातक, विवरण और माल की मात्रा को विनिर्दिष्ट करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में उल्लिखित अनुसार, ई-वे बिल के माध्यम से, एक बीजक के अधीन या जहां भी लागू हो, छुटपुट काम के परिसर में माल भेजेगा ।

(3) वह अधिकतम अवधि जिसके लिए छुटपुट काम को माल भेजा जा सकता है, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट बीजक या ई-वे बिल की तारीख से छह मास होगी ।

(4) यदि आयातक यह स्थापित करने में अयोग्य है कि छुटपुट काम के लिए भेजा गया माल नियम 4 के अधीन उल्लिखित विशिष्टियों के अनुसार उपयोग किया गया है, क्षेत्राधिकार सीमाशुल्क अधिकारी नियम 8 और 8 क के अधीन आयातक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

(5) छुटपुट काम करने वाले,-

(i) ऐसी प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई हो, माल की प्राप्ति, उस पर की गई विनिर्माण प्रक्रिया और उत्पन्न अपशिष्ट का लेखा-जोखा रखेंगे;
(ii) जब कभी उक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, क्षेत्राधिकार सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष खाता विवरण प्रस्तुत करेंगे;
(iii) छुटपुट काम पूरा होने के पश्चात्, बीजक या ई-वे बिल के कवर के अधीन संसाधित माल को आयातक या किसी अन्य छुटपुट काम करने वाले को आयातक द्वारा निर्देशित शेष प्रक्रियाओं, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए भेजेंगे ।

6ख. इकाई हस्तांतरण के लिए आयातित माल की अनुज्ञा प्रदान करने की प्रक्रिया - (1) आयातक मास

के दौरान इकाई हस्तांतरण के लिए भेजे गए माल का रिकॉर्ड बनाए रखेगा और नियम 6 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट मासिक विवरण में इसका उल्लेख करेगा ।

(2) आयातक माल के विवरण और मात्रा को विनिर्दिष्ट करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में यथाउल्लिखित ई-वे बिल के माध्यम से, एक बीजक के अधीन या जहां भी लागू हो, माल भेजेगा ।

(3) आयातक, किसी अन्य इकाई को माल के हस्तांतरण के संबंध में, -

(i) ऐसी प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई हो, माल की प्राप्ति, उस पर की गई विनिर्माण प्रक्रिया और उत्पन्न अपशिष्ट का लेखा-जोखा रखेंगे;

(ii) जब कभी उक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, क्षेत्राधिकार सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष खाता विवरण प्रस्तुत करेंगे;

(iii) उक्त प्रक्रिया को पूरा होने के पश्चात्, संसाधित माल को आयातक के परिसर में वापस भेज दें, एक छुटपुट काम करने वाला कार्यकर्ता को शेष प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक बीजक के कवर के अधीन या ई-वे बिल, यदि कोई हो, या जहां से माल प्राप्त हुआ था ।"।

7. उक्त नियम में, नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7. अप्रयुक्त या दोषपूर्ण माल का पुनः निर्यात या निकासी - (1) आयातक जिसने छूट अधिसूचना का लाभ उठाया है, आयात की तारीख से छह मास के भीतर संबंधित छूट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार आयातित माल का उपयोग करेगा और इस प्रकार आयातित, अप्रयुक्त या दोषपूर्ण माल के संबंध में, आयातक के पास उक्त अवधि के भीतर घरेलू खपत के लिए या तो पुनः निर्यात करने या उसकी निकासी करने का विकल्प है ।

(2) ऐसे आयातक, जिसने उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे माल का पुनः निर्यात का विकल्प लिया है, मासिक विवरण में आवश्यक निर्यात दस्तावेजों का विवरण प्रदान करके अभिलिखित किया जाएगा:

परन्तु पुनः निर्यात के लिए ऐसे माल का मूल्य आयात के समय उक्त माल के मूल्य से कम नहीं होगा ।

(3) ऐसा आयातक, जो उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट घरेलू उपभोग के लिए अप्रयुक्त या दोषपूर्ण माल की निकासी करने का विकल्प रखता है, सामान्य पोर्टल पर ब्याज के साथ शुल्क और ऐसी निकासी की विशिष्टियों का भुगतान करेगा और शुल्क का भुगतान मासिक विवरण में आयातक द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ।

(4) आयातक के पास, विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के पश्चात् ऐसे माल पर लगाए गए शुल्क के बीच अंतर के बराबर शुल्क के भुगतान पर, आयातित पूंजीगत माल की निकासी करने का विकल्प होता है, किन्तु छूट के लिए और पहले से भुगतान किया गया, यदि कोई हो आयात के समय, ब्याज के साथ, अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित दर पर, सीधी रेखा पद्धति में अनुमत मूल्यह्रास मूल्य पर, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है, अर्थात्:-

(i) प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @ 4%;

(ii) दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @ 3%;

(iii) तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @3%;

(iv) चौथे और पांचवें वर्ष में हर तिमाही के लिए @ 2.5%;

(v) और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के लिए @ 2%।

स्पष्टीकरण - (i) तिमाही के किसी भी भाग के लिए मूल्यह्रास की दर की गणना करने के लिए, एक पूर्ण तिमाही को ध्यान में रखा जाएगा।

(ii) स्वैच्छिक भुगतान की अनुमति उस तारीख से दी जाएगी जब आयातित पूंजीगत माल इसकी मंजूरी की तारीख तक छूट अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग में आया है।

(5) उप-नियम (4) के संबंध में, ऐसी निकासी की विशिष्टियों और शुल्क का भुगतान मासिक विवरण में आयातक द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ।"।

8. नियम 8 में, -

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) नियम 7 के उप-नियम (1) या नियम 7 के उप-नियम (3) और (4) में निर्दिष्ट भुगतान में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने में आयातक की ओर से किसी भी विफलता की स्थिति में भुगतान नहीं किया जाता है या कम भुगतान किया जाता है, यथास्थिति, सीमाशुल्क के उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त, जो उस परिसर पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं जहां आयातित माल का उपयोग माल के विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच अंतर के बराबर राशि की वसूली की कार्यवाही शुरू करने के लिए बांड का आह्वान करके कार्रवाई करेगा किन्तु लेकिन छूट के लिए और जो पहले से भुगतान किया गया है, यदि कोई हो, आयात के समय, ब्याज के साथ, द्वारा निर्धारित दर पर अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना, माल के आयात की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए जिस पर छूट का लाभ उठाया गया था और शुल्क के अंतर की पूरी राशि के वास्तविक भुगतान की तारीख के साथ समाप्त होने के लिए वह उत्तरदायी है ।"।

(ख) उप-नियम (2) में "यथास्थिति, सीमाशुल्क का अधिकारक्षेत्र वाला उप-आयुक्त, या, सीमाशुल्क का सहायक आयुक्त" शब्दों के स्थान पर यथास्थिति, सीमाशुल्क का उप-आयुक्त या सीमाशुल्क का सहायक आयुक्त शब्द रखे जाएंगे ।

9. उक्त नियम में प्ररुप के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप आई जी सी आर-**1**

[नियम 4(1) *देखें*]

(आयातक द्वारा प्रदान की जाने वाली पूर्व सूचना)

भागक-

I. आयातक का विवरण

क्र.सं.	सूचना	ब्यौरा
1	आईसंख्या .सी.ई.	
2	आयातक का नाम:	
3	आयातक का मूल पता:	
4	जी.एस.टी.आई.एन	
5	आयात का बंदरगाह	

II. आयातक या छुटपुट काम करने वाले के परिसर में उपयोग किए जाने के आशय से रियायती दर पर आयातित माल:

क्र.सं.	सी टी एच	उपयोग किए जाने के लिए आयातित माल का विवरण

III. उठाया गया छूट का लाभ

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	शुल्क की रियायती दर पर आयातित कच्चे पदार्थों या घटकों के उपयोग से विनिर्मित होने के आशय से माल का विवरण

IV. माल का विनिर्माण करने का आशय

क्रसं.	सीटीएच	शुल्क की रियायती दर पर आयातित कच्चे पदार्थों या घटकों के उपयोग से विनिर्मित होने के आशय से माल का विवरण

V. आयातक द्वारा आई जी सी आर के लिए उपयोग की जाने वाली विनिर्माण सुविधाएं

क्रसं..	जी एस टी आई एन	विनिर्माण इकाई का पता	आयातक की विनिर्माण सुविधा पर अपनाए गए उत्पादित माल या प्रक्रिया.

VI. छुटपुट काम करने वालों के द्वारा आई जी सी आर के लिए उपयोग की जाने के लिए आशयित निर्माण सुविधाएं एक से अधिक))छुटपुट काम करने वालों के मामले में, प्रत्येक छुटपुट काम करने वालों के संबंध में उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए

क्रसं.	छुटपुट काम करने वालों का जी.एस.टी.आई.एन या पैन	छुटपुट काम करने वालों के विनिर्माण इकाई का पता	छुटपुट काम करने वालों के विनिर्माण सुविधा पर अपनाए गए उत्पादित माल या प्रक्रिया।

VII. आयातक द्वारा आयातित माल के उपयोग के साथ प्रदान की जाने वाली आउट-पुट सेवा की प्रकृति.

क्रसं.	एस ए सी कोड	शुल्क की रियायती दर पर आयातित कच्चे पदार्थों या घटकों के उपयोग से विनिर्मित होने के आशय से माल का विवरण

<u>भाग ख-</u>

(भाग क प्रस्तुत करने के बाद भरा जाना है**)**

बांड विवरण

1	निरंतरता बांड नं .और तारीख	
(a)	बांड की राशि	
(b)	बांड की शेष राशि	

टिप्पण:- बांड की राशि वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित शुल्क पूर्वगामी होगी

[नियम 6(1) *देखें*]

(आयातित माल की प्राप्ति न होने के संबंध में सूचना)

I. आई आई एन: _____

II. प्राप्त न किए गए मालों का विवरण

बिल की प्रविष्टि सं.	बी ई तारीख	आयात का बंदरगाह	बीजक सं.	मद सं.	प्राप्त नहीं हुई मात्रा	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप आई जी सी आर- **3**

[नियम 6(2) *देखें*]

(20-------- के लिए मासवार विवरण**)**

I. आई आई एन **:**

II. मास के दौरान आयात किए गए, उपभोग किए गए, पुन :निर्यात किए गए, उपयोग के लिए लंबित या शुल्क के भुगतान पर मंजूरी दिए गए माल का विवरण

बीई सं.	बी ई तारीख	आयात का पत्तन	बीजक सं.	मद सं.	माल का विवरण	विनिर्दिष्ट प्रयोजन	आयात की मात्रा	निकासी की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

सतत्...

माल का मूल्य	पूर्वगामी कर्तव्य				प्राप्त मात्रा	माल की प्राप्ति की तारीख	प्राप्त नहीं हुई मात्रा	आशयित प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली मात्रा
	बी सी डी	अन्य सीमा शुल्क का विवरण	आई जी एस टी	उप कर				
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

सतत्...

पुननिर्यात: (मात्रा)	शुल्क के भुगतान पर माल की निकासी (मात्रा)	स्टॉक में लंबित मात्रा	
		आयातक के परिसर में लंबित मात्रा	आयातक की अन्य इकाईयों या छुटपुट काम करने वाले के पास लंबित मात्रा
(19)	(20)	(21)	(22)

III .छुटपुट काम और इकाई अंतरण काविवरण

बी ई संख्या	बी ई तारीख	आयात का पत्तन	बीजक सं.	मद सं.	छुटपुट काम के लिए भेजी गई मात्रा	छुटपुट काम करने वाले का जीएसटी आईएन	परिदान चालान ई वे / बिल	तारीख	इच्छित प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली और जे डब्ल्यू परिसर से सीधे हटाई गई मात्रा	इच्छित प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली मात्रा और आयातक के परिसर में वापस प्राप्त की गई मात्रा	मध्यवर्ती उत्पाद के लिए उपयोग की जाने वाली मात्रा और आयातक के परिसर में वापस प्राप्त की गई मात्रा	प्रसंस्करण के बिना जे डब्ल्यू से आयातक के परिसर में प्राप्त मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

IV. पुन:निर्यात के ब्यौरे

बी ई संख्या	बी ई तारीख	आयात का पत्तन	बीजक सं.	मद सं.	पुन :निर्यात की गई मात्रा	एस बी सं.	एस बी तारीख	निर्यात का पत्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

V. शुल्क के भुगतान पर निकासी

बी ई संख्या	बी ई तारीख	आयात का पत्तन	बीजक सं.	मद सं.	निकाली गई मात्रा	संदत्त रकम	अवक्षय के पश्चात् निकाला गया पूंजी माल	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

[फा .सं.450/28/2016-सीयूएस-IV]

(अनंथ रथकृष्णन(
उप सचिव,भारत सरकार

टिप्पण -:मूल नियम संख्यांक सा .नि.का.803(अ), तारीख जून 30, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप) खंड-i) में प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक 60(अ(, तारीख फरवरी 1, 2021 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया था।